



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 706/SEIAA/2021

Date: 6/6/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.) - 462016

विषय :- प्रकरण क्र. 8689/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मिथलेश सिंह पत्नि श्री नवल सिंह, निवासी- ग्राम प्रकाश बम्हौरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 6.659 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 285, ग्राम - गुमानपुरा, तहसील-चंदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 728वी SEIAA बैठक दिनांक 27.05.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

" प्रकरण में सिया की 698वी बैठक दिनांक 28.12.2021 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 534वी बैठक दिनांक 15.12.2021 में उक्त प्रकरण को डिलिस्ट किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 534वीं बैठक दिनांक 15.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा 518वी बैठक दिनांक 08.10.2021 में मांगी की जानकारी को परियोजना प्रस्तावक द्वारा काफी लम्बे समय से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण को Delist किया जाये व परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण Relist किया जाता है तथा तकनीकी नस्ती संलग्न कर परीक्षण हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)

सदस्य सचिव

क्र..

प्रतिलिपि:-

707

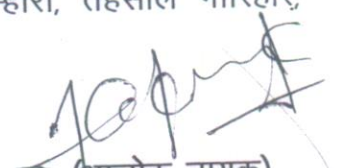
/SEIAA/2022

भोपाल दिनांक

6/6/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
10. श्रीमती मिथलेश सिंह पत्नि श्री नवल सिंह, निवासी- ग्राम प्रकाश बम्हौरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी